संख्या– /XVIII(II)/2021–03(26)/2019

प्रेषक,

डा0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 दिसम्बर, 2021

विषयः– **कोस्टगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु 0.2860 है0 भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सःशुल्क पट्टे पर आवंटित भूमि के नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए निःशुल्क आवंटन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1427/XVIII(II)/2019–03(26)/2019, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 द्वारा कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु जनपद देहरादून के ग्राम कुआंवाला परगना–पछवादून, तहसील, देहरादून के खसरा नं0–4ख रकबा 0.0610 है0 एवं खसरा नं0–5घ रकबा 0.2250 है0 कुल रकबा 0.2860 है0 जो खतौनी वर्ष 1421 से 1426 वर्ष में खाता संख्या–844 में श्रेणी–5(3)ड़–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि में दर्ज अभिलेख है, को शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 09.05.1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1, दिनांक–12.09.1997 तथा शासनादेश संख्या–1115/XVII(II)/2016 –18(184)/2015 दिनांक 15 जून, 2016 के अन्तर्गत कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रस्तावित भूमि का नजराना रू0 2,00,20,000/– (दो करोड़ बीस हजार रू0 मात्र) तथा मालगुजारी रू0 706/–(सात सौ छः रू0 मात्र) एकमुश्त जमा किये जाने पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में सर्वाधिकार सहित सःशुल्क पट्टे पर आवंटित की गयी थी।

2– महानिदेशक, के0 नटराजन, भारतीय तटरक्षक, तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के प्ररिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1427/XVIII(II)/2019–03(26)/2019, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 द्वारा कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु जनपद देहरादून के ग्राम कुआंवाला परगना–पछवादून, तहसील, देहरादून के खसरा नं0–4ख रकबा 0.0610 है0 एवं खसरा नं0–5घ रकबा 0.2250 है0 कुल रकबा 0.2860 है0 जो खतौनी वर्ष 1421 से 1426 वर्ष में खाता संख्या–844 में श्रेणी–5(3)ड़–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि में दर्ज अभिलेख है, जिसका नजराना रू0 2,00,20,000/– (दो करोड़ बीस हजार रू0 मात्र) तथा मालगुजारी रू0 706/–(सात सौ छः रू0 मात्र) निर्धारित किया गया है, की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–496/XVII(II)/2020–08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
(2) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

....2

(3) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(4) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पडी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(6) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(7) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्रविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी)संख्या–3109/2011 श्री जंगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 08 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

3– कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्या–1918/[illegible]/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– महानिदेशक, भारतीय तटरकक्ष, तटरक्षक मुख्यालय, राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर, नई दिल्ली–110001.
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गीता शरद)
अनु सचिव।